न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 651 / 2024

अनवान : –

1. चंद्रमुखी पत्नी संदीप कुमार (पुत्री ईन्द्रा) जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ईन्द्रा पत्नी महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. सुनीता पुत्री ईन्द्रा पत्नी महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
3. सुमन देवी पुत्री ईन्द्रा पत्नी महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/3/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 80 / 77 के खसरा नं. 240 की कुल 9.5860 है0 भूमि में से 6323 / 9586 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 ने पारिवारिक समझौता में रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 80 / 77 के खसरा नं. 240 की कुल 9.5860 है0 भूमि में से 6323 / 9586 हिस्सा भूमि वादीया को दी हुई है। इसलिए उपरोक्त भूमि पर वादीया अकेली काबिज है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो कि वादीया की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी बहिन चन्द्रमुखी के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 80 / 77 के खसरा नं. 240 की कुल 9.5860 है0 भूमि में से 6323 / 9586 हिस्सा भूमि पर वादीया अकेली काबिज है वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को [illegible] कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 13:47:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 ने पारिवारिक समझौता में रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 80/77 के खसरा नं. 240 की कुल 9.5860 है0 भूमि में से 6323/9586 हिस्सा भूमि वादीया को दी हुई है। इसलिए उपरोक्त भूमि पर वादीया अकेली काबिज है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो कि वादीया की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी बहिन चन्द्रमुखी के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 80/77 के खसरा नं. 240 की कुल 9.5860 है0 भूमि में से 6323/9586 हिस्सा भूमि पर वादीया अकेली काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रि[illegible] अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–207[illegible] के खसरा नं. 240 की कुल 9.5860 है0 भूमि में से 6323/9586 हिस्सा भूमि प्रतिवा[illegible] संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 13:47:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 80/77 के खसरा नं. 240 की कुल 9.5860 है0 भूमि में से 6323/9586 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 13:47:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 651/2024

अनवान : –

1. चंद्रमुखी पत्नी संदीप कुमार (पुत्री ईन्द्रा) जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ईन्द्रा पत्नी महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. सुनीता पुत्री ईन्द्रा पत्नी महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
3. सुमन देवी पुत्री ईन्द्रा पत्नी महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 651 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 80/77 के खसरा नं. 240 की कुल 9.5860 है0 भूमि में से 6323/9586 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 13:47:45 IST
Reason: SelfAttested